From

The Director
Women & Child Development Department,
Haryana, Panchkula

To

All District Programme Officers, Haryana
All District Child Protection Officers, Haryana

Memo No : SPL-7/DDII Dated 6-04-2020

Subject **RE CONTAGION OF COVID 19 IN CHILDREN PROTECTION HOMES in Hindi**

In reference to Subject cited above, please find herewith enclosed Advisory on ReContagion of COVID 19 in Child Protection Homes in Hindi for compliance.

Sd/-
Deputy Director
For Director Women and Child Development Department
Haryana

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURIDICTION

SUO MOTO WRIT PETTION (CIVIL) NO. 04 OF 2020

IN THE MATTER OF :

IN RE CONTAGION OF COVID 19 VIRUS IN CHILDREN PROTECTION HOMES

आदेश

1. COViD-19 महामारी जो कि देश मे तेजी से फैल रही है को दृष्टिगत रखते हुये स्वतः संज्ञान लेते हुये यह रिट पिटिशन सूचीबद्व की गई है। ऐसे कई बच्चे है, जिन्हे संरक्षण की अआवश्यकता है तथा जो विधि विवादित है, वह विभिन्न प्रकार के गृहों मे रह रहे है। ऐसे भी बच्चे है, जिन्हे फास्टर केयर एवं स्पांसरशिप मे दिया गया है। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार के बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाये। ये सभी बच्चे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की श्रेणी मे आते है। इन बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा के लिये निम्मनानुसार सुझाव जारी किये जा रहे है।

2. जैसा कि COViD-19 महामारी का तेजी से फैलाव हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आवश्यक उपाय अपनाये जाने चाहिये, ताकि बाल देखरेख संस्थाओ मे निवासरत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं सम्प्रेक्षण गृह तथा विशेषगृह मे निवासरत विधि विवादित बालकों को COViD-19 के संक्रमण एवं फैलाव से बचाया जा सके। यह निर्देश फास्टर केयर एवं किनशिप केयर वाले बच्चों पर भी लागू होंगे।

3. यह निर्देश COViD-19 के बारे मे वर्तमान मे ज्ञात जानकारी, समझ के आधार पर तैयार किये गये है। राज्य सरकार एवं नोडल विभाग से अनुरोध है कि वे संस्था के अधीक्षक/प्रबंधक को निरंतर प्रासेंसिग एडवाईजरी, सर्कुलर उपलब्ध कराये एवं उन्हे जहां भी आवश्यक हो उचित मार्गदर्शन दें। किशोर न्याय समिति (JJC) उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य सरकार द्वारा लाकडाउन के संबंध मे जारी निर्देशों की अवहेलना न हो। हम यह आशा करते है कि जिला प्राधिकारी बच्चों को उनके परिवार, घर, किशोर न्याय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित करने के लिये आवश्यक अनुमति प्रदान की जाये।

4. बाल कल्याण समिति द्वारा किये जाने वाले उपाय

- कोविड (COVID-19) को दृष्टिगत रखते हुये बाल कल्याण समिति सक्रिय होकर समस्त आवश्यक उपाय करेगी। जांच/निरीक्षण करते समय बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं हित को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
- कोविड (COVID-19) से होने वाले जोखिम से विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, खुला आश्रय गृह में निवासरत बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु ऑनलाईन अथवा वीडियो सेशन द्वारा किये जाने वाले उपाय के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है।

- बच्चों को संस्था में रखना अंतिम उपाय होगा इस हेतु परिवार के साथ विचार विमर्श किया जाना होगा।
- जो बच्चे परिवार में भेजे गये है, उनकी देखरेख टेलीफोन द्वारा की जायेगी। साथ ही जिला बाल संरक्षण समिति तथा फास्टर केयर एवं दत्तकग्रहण समिति के साथ समन्वय कर फास्टर केयर में रहने वाले बच्चों हेतु जिला बाल संरक्षण समिति तथा फास्टर केयर एवं दत्तकग्रहण समिति के साथ समन्वय किया जाना हेगा।
- बाल देखरेख संस्थाओ में निवासरम बच्चों एवं स्टाफ के प्रश्नों के समाधान हेतु राज्य स्तर पर ऑनलाइन डेस्क स्थापित किया जाना हेगा।
- लॉक डाउन एवं कोविड (COVID-19) बीमारी के भय के कारण तनाव एवं चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में विशेषकर यौनजनित हिंसा की घटनाये बढ़ने की संभावनायें है।
- वीडियो कान्फ्रेसिंग, वॉट्सअप एवं दूरभाष के माध्यम से हिंसा की समस्त घटनाओं की देखरेख बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालयों के द्वारा किये जाने वाले उपाय

- विधि के उल्लघंन के लिये अभिकथित और उल्लंघन करते पाये जाने वाले बालक संप्रेक्षण गृह में रखे जाते है।
- किशोर न्याय बोर्ड ऐसे समसत बालकों को बेल पर रिहा करेंगे। यदि कोई स्पष्ट और वैध कारण हो तो ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 का उपयोग किया जा सकता है।
- प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग अथवा वीडियो सेशन आयोजित करें।
- संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बालकों हेतु परामर्श सेवाये उपलब्ध करायी जायें।
- लॉक डाउन एवं कोविड (COVID-19) बीमारी के भय के कारण तनाव एवं चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में विशेषतः यौनजनित हिंसा की घटनाये बढ़ने की संभावनायें है। किशोर न्याय बोर्ड को नियमित रूप से सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण करना होगा।

6 राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले उपाय–

COViD-19 को महामारी घोषित किया गया है। सभी राज्य सरकारों को राज्य के संरक्षण मे रह रहे बच्चों को इस आपातकालिक परिस्थिति से बचाव के लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है–

1. COViD-19 से बचाव के लिये समस्त बाल देखरेख संस्था को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाये एवं इससे बचाव हेतु आवश्यक निर्देश समय पर एवं प्रभावी रूप से दिये जाये।
2. आपदा एवं अपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये तैयारी रखें। प्रभारी अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ मिलकर स्टॉफ के रोटेशन की योजना बनाये। बाल देखरेख संस्था के स्टॉफ द्वारा आमने–सामने बातचीत यथासंभव न किया जाये।

प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को तैयार रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग लिया जा सके।

3. सभी शासकीय पदाधिकारी अपना कर्तव्य पूर्ण लगन व निष्ठा से करें। ऐसा न करने वाले पदाधिकारी पर कर्तव्य का पालन न करने पर किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 66 (1) के प्रावधान अनुसार इसे गम्भीरता से लेते हुये प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. संस्था मे निवासरत बच्चों के लिये काउन्सलर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बच्चों के विरूद्व किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा न हो इस हेतु मॉनिटरिंग की उचित व्यवस्था की जाये। लाकडाउन के कारण उपजे तनाव से लैंगिक हिंसा की घटना बढ़ सकती है। अतः नियमित मॉटिरिंग करें।
5. पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, ताकि इस महामारी से निपटने के लिये आवश्यक व्यय किये जा सके। बजट संबंधी किसी भी प्रकार की बाधा एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब को प्रभारी रूप से रोका जाये।
6. अच्छी गुणवत्ता के मास्क, साबुन, कीटाणुनाशक जैसे ब्लीच या एल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
7. पर्याप्त मात्रा मे राशन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सामग्री जैसे साफ कपड़े, सैनिटरि नैपकिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये।

7 बाल देखेरेख संस्थाओ के लिये निर्देश–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 मे बालकों की सुरक्षा के मूलभूत सिद्वांत अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी एवं स्टॉफ पूर्ण सक्रियता से COViD-19 मे होने वाले जोखिम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु समस्त आवश्यक उपाय करेंगे।

1. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हेल्प लाईन नम्बर 1075 एवं 1800–112–545 की स्थापना की गई है। कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिये उपरोक्त नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
2. कोरोना के लक्ष्ण किसी बच्चे या स्टॉफ मे परिलक्षित होने पर हेल्पलाईन या स्थानीय चिकित्सालय से सम्पर्क करें। चिकित्सक या हेल्पलाईन नम्बर की सलाह पर या लक्ष्ण गंभीर होने पर चिकित्सालय जाये।
3. स्टॉफ या कोई अन्य व्यक्ति मे कोविड 2019 के लक्ष्ण परिलक्षित होने पर उन्हे मे प्रवेश न दिया जाये।
4. स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक दुरी (SOCIAL DISTANCING) का पालन करें।
5. समस्त स्टॉफ एवं बच्चे नियमित रूप से साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोंय। कीटाणुनाशक का छिड़काव करायें तथा बालकों के कक्ष, किचन, बाथरूम एवं अन्य स्थानों की नियमित साफ–सफाई करायें। अगर कहीं पानी की पर्याप्त उपलब्धता नही है, तो पानी की समुचित उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। इस हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी से सहयोग लेवें।

6. संस्था मे पर्याप्त पानी, साफ–सफाई, कीटनाशक एवं कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करें। पर्याप्त स्वच्छता के लिये आवश्यक प्रक्रिया का पालन करें।

08 बाल देखेरेख संस्थाओ हेतु सुरक्षात्मक उपायः–

बाल देखरेख संस्थाओं मे निवासरत बालकों एवं स्टॉफ को COViD-19 से बचाव हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नानुसार उपाय किये जाना चाहिये।

1. खुद जानिये एवं दुसरो को समझाईये की COViD-19 कैसे फेलता है।

- COViD-19 से बचाव का सबसे बहतर उपाय है कि वायरस के सम्पर्क मे आने से बचें। वर्तमान जानकारी के अनुसार यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति के सम्पर्क मे आने स फैलता है।
- COViD-19 से संक्रमित व्यक्ति से 02 मीटर तक की दुरी मे आमने–सामने आने से बचे।
- जब कोई व्यक्ति छिंकता या खांसता है, तो उसके छिंकने या खासने से निकली बुंदे निकट के किसी व्यक्ति के मुंह या नांक पर पड़ती है, तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जायेगा।
- अभी तक कोराना से बचाव एवं उपचार के लिये कोई वेक्सिन नही है ।

2. साफ–सफाई हेतु आवश्यक उपाय करें, साफ–सफाई को बढ़ावा देवे, नियमित मॉनिटरिंग करें–

- साबुन/सेनिटाईजर का उपयोग चौकीदार माली, ड्राईवर एवं समस्त स्टॉफ द्वारा नियमित किया जाये। मुख्य द्वारा पर हाथ धोने के लिये साबुन पानी की व्यवस्था की जाये।
- यथासंभव हेंड सेनिटाईजेशन की व्यवस्था करें, जिसमे 70 प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा हो। सेनेटाईजर का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि हाथ की सतह मे पूर्णतः सेनेटाईजर का लगाया गया है तथा हाथो को रगड़कर आच्छी तरह से सुखा लिया गय है।
- बाल देखरेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अकस्मिक फंड का उपयोग आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये किया जाये। अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर मांग पत्र भेजा जाये।

3. सामाजिक दुरी (SOCIAL DISTANCING) का पालन किया जाये

- सामाजिक दुरी बनाये रखें। साथ ही अभिवादन के लिये हाथ मीलाने एवं गले लगने से बचें। स्टॉफ एवं बच्चों के बीच कम से कम 06 फिट (02 मीटर) की दुरी रखें।
- बाल देखरेख संस्था मे कम से कम व्यक्ति प्रवेश करें। बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः निशेध करें।
- सभी बैठके विडियों रिकार्डिंग के माध्यम से करें। बच्चों के माता–पिता से मुलाकात की जगह दुरभाष पर बात करायें।
- सामाजिक दुरी को लागू करने के लिये बच्चों के शिक्षण कक्ष, मनोरंजन कक्ष एवं अन्य उपलब्ध कक्ष का उपयोग किया जाना चाहिये।

4. साफ–सफाई का कड़ाई से पालन एवं कीटनाशक का नियमित उपयोग किया जाये।

वर्तमान जानकारी अनुसार COViD-19 वायरस विभिन्न सतह् मे कुछ घंटो से कुछ दिन तक रह सकता है। साफ–सफाई के द्वारा विभिन्न सतह पर जमी गंदगी, अशुद्वता एवं कीटाणुओं को कम किया जा सकता है। कीटाणुनाशक के प्रयोग से कीटाणुओं को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार साफ–सफाई एवं कीटाणुनाशक के प्रयोग से इनफेक्शन को फैलने से रोकने मे मदद मिलती है।

- बाल देखरेख संस्था की दिन मे कम से कम एक बार तथा पेय, जल एवं सेनिटेशन सुविधा की सफाई आवश्यक करायें। साथ ही ऐसी सतह जिसको कई लोंगो द्वारा छुआ जा रहा है, जैसे रेलिंग, दरवाजे खिड़की के हेंडल, खिलौने, डोरबेल, लाईट के स्विच, फोन, टायलेट, नल, वाशबेसिन आदि की रोजाना साफ–सफाई एवं कीटनाशक का छिड़काव किया जाये।
- सभी वस्तुएं गर्म पानी से धोंये और पूर्णतः सुखायें। बीमार व्यक्ति/बच्चों के कपड़े अन्य बच्चों के कपड़ों के साथ गर्म पानी की उपलब्धता होने पर ही धोंय एवं पर्याप्त साबुन/र्डिजेन्ट का उपयोग करें।
- टायलेट की समुचित सफाई सुनिश्चित करें।
- किचन मे साफ–सफाई रखें।
- किसी भी प्रकार के कोरियर, पार्सल या खाद्यान्य के पैकेट को संस्था के अंदर रखने से पूर्व उचित तरीके से साफ करें। साफ करने के पश्चात हाथों को सेनेटाईज करें। डिस्पोजल ग्लफस का प्रयोग करें।
- संस्था की साफ–सफाई के लिये डाईलयूटेट ब्लीच/ एल्कोहल साल्यूशन या घरेलू कीटनाशक फिनाईल आदि का उपयोग किया जाये।

09 बाल देखरेख संस्था हेतु Responsive उपाय–

1. **नियमित स्कीनिंग –** COViD-19 से संक्रमित होने पर बुखार, खांसी तथा सांस लेने मे तकलीफ हो सकती है। COViD-19 के लक्ष्ण सर्दी जुखाम या बुखार के समान होते है, इसलिये COViD-19 है या नही इस हेतु जांच कराई जाना आवश्यक है।

2. **स्वास्थ्य दिशा–निर्देशों का पालन करें –** संस्था द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन किया जाना चाहिये। संस्था मे कोई बच्चा या स्टॉफ बीमार होता है, तो संस्था के डाक्टर को तत्काल सूचित करें। किसी भी बच्चे या स्टॉफ को COViD-19 के संक्रमण की आशंका है, तो तत्काल हेल्पलाईन नम्बर या स्थानीय चिकित्सक से सम्पर्क करे।

3. **Quqrantine–** किसी बच्चे मे COViD-19 के लक्ष्ण दिखाई देते है, तो उसे Quqrantine मे रखा जाये। जहां Quqrantine की सुविधा न हो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

4. आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्व से योजना बनाना–

संस्था के प्रभारी अधिकारी के संस्था से जुड़े हुये हेल्थ स्टॉफ डाक्टर एवं स्थानीय चिकित्सक अधिकारी के लिये योजना तैयार की जाना चाहिये। इस हेतु निम्नानुसार तैयारी की जा सकती है।

- आपातकाल दूरभाष नम्बरों की सूची तैयार कर लें।
- बीमार बच्चों या स्टॉफ को स्वस्थ्य बच्चों/स्टॉफ से अलग रखा जाये।
- किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति से आवश्यक आदेश प्राप्त कर बच्चों की परिस्थिति अनुसार उन्हे उचित स्वास्थ्य सुविधा हेतु रेफर किया जाये या उन्हे उनके घर भेजा जाये।
- इस प्रकार अपनाई जाने वाली समस्त प्रक्रिया की सूचना बालक के माता–पिता बालक एवं स्टॉफ को समय पूर्व दी जाये।

10. फॉस्टर केयर एवं किनशिप(पश्चात्वर्ती) देखेरख के रहने वाले बालकों हेतु किये जाने वाले उपाय–

- पश्चातवर्ती देखरेख करने वाले परिवारों को कोविड (COVID-19) बीमारी से संबंधित समस्त जानकारी दी जाना होगी।
- बालकों को शरीरिक एवं मानसिक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति समझने हेतु फॉलोअप किया जाना हेगा। साथ ही संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर क्या करना होगा, की जानकारी देनी होगी।

11– देखरेख एवं संरक्षण तथा विधि विवादित बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश।

- COViD-19 के कारण बच्चों मे तनाव, गुस्सा या अवसाद हो सकता है। बच्चों के व्यवहार मे परिवर्तन आ सकता है। ऐसे मे कुछ बच्चे शांत हो सकते है, तो कुछ बच्चे गुस्से भरा व्यवहार कर सकते है।
- बच्चों को आपस मे बातचीत करने एवं जिन पर वे भरोसा करते है उनसे अपनी समस्याएं एवं भावनाएं शेयर करने के लिये प्रोत्साहित करें।
- COViD-19 से जुड़ी टीवी समाचार की चर्चा से बच्चों को दूर रखे तथा उनका ध्यान अन्य सकारात्मक विषयों पर केंद्रित करें। बच्चे टीवी, समाचार की खबरों से घबरा एवं निराश हो सकते है।
- बच्चों के स्कूल बंद होने एवं दैनिक दिनचर्या मे बाधा होने से उनमे तनाव बढ़ सकता है। नियमित दिनचर्या का पालन किये जाने के प्रयास किये जाना चाहिये, ताकि बच्चों मे तनाव को कम किया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके की बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करें।
- बच्चों के साथ समय बिताये उनके साथ विभिन्न गतिविधियां करें, जिन्हे वो पसंद करते है। यह सुनिश्चित करे कि बच्चे अपने मनपसंद के खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां कर सकें। स्कूल के आगे भी बंद होने की स्थिति मे स्कूल के शिक्षक से बात कर बच्चों से केंद्रित गतिविधियों की सूची तैयार कर ले, ताकि उन्हे व्यस्थ रखा जा सके।

- COViD-19 बीमारी एवं लाकडाउन के कारण बच्चों के बीच हिंसा के साथ ही लैंगिक हिंसा बढ़ सकती है। ऐसे मे बच्चों मे अनुशासन बनाये रखने के लिये मारपीट या दुर्व्यवहार न करें। मारपीट या दुव्यर्वहार से बच्चों मे तनाव व व्यग्रता बढ़ सकती है, जो कि आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावीत कर सकती है। संस्था मे बच्चों द्वारा आपस मे तथा स्टॉफ द्वारा किसी भी प्रकार की बच्चों से हिंसा या मारपीट की न जाये, यह सुनिश्चित किया जाये।
- बच्चों का उचित मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से अपने साथियों का सहयोग करें। बच्चों एवं स्टॉफ द्वारा किसी भी बच्चे का बहिष्कार एवं डराये धमकायें नही।
- स्वास्थ्य कर्मियों/ सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता के सहयोग से बच्चों एवं स्टॉफ को चिन्हांकित करे, जो तनाव या अवसाद मे है तथा उन्हे आवश्यक उपचार प्रदान करें। संस्था मे ऐसे बच्चे हो सकते है, जिन्हे पूर्व से ही मानसिक व्वास्थ्य हेतु उपचार किया जा रहा हो। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग एवं उपचार की व्यवस्था मनोचिकित्सक से पूर्ववत जारी रखी जाये।
- छिंकने या खांसने पर किसी भी बच्चे या स्टॉफ के लिये अशब्दो का प्रयोग न किया जाये। यह समानता एवं भेदभाव न करने एवं गरिमा ओर मूल्य के सिद्वांत का उल्लंघन है।
- बच्चों को योग लम्बी सांस, सम्पूर्ण आहार, व्यायाम, आच्छी नींद से अपना ख्याल रखने के लिये प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनींग एवं थेरेपी के लिये सेवाए प्राप्त करे, ताकि उन्हे इस संकटपूर्ण परिस्थिति मे उचित सुविधायें एवं उपचार प्राप्त हो सके।

12– इस कोर्ट की रजिस्ट्री को यह निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को ई–मेल से प्रेषित की जाये, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का स्थानीय भाषा मे अनुवाद कर सभी बाल कल्याण समिति एवं बाल देखरेख संस्था को उपलब्ध करावेंगे। इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से सभी राज्यो के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित की जाये, जो इस आदेश की एक प्रति किशोर न्याय बोर्ड, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं चिल्ड्रन कोर्ट, पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13 रजिस्ट्रार जनरल समस्त उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को किशोर न्याय समिति समस्त उच्च न्यायालय के समक्ष रखे। हम समस्त किशोर न्याय समिति से यह अनुरोध करते है कि इस आदेश का न केवल पालन सुनिश्चित कराये साथ ही इस आदेश की यथासंभव सप्ताह मे एक बार नियमित समीक्षा करें।

14 इस निर्देश के साथ ही यह रिट पिटिशन समाप्त की जाती है।

....J.
(L.Nageswara Rao)

New Delhi
April 03,2020

....J.
(Deepak Gupta)